फा.सं.12/1/2018-प्रशासन

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

93, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 11.06.2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में मई, 2021 माह के लिए मासिक सार।

मुझे इसके साथ मई, 2021 माह के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति भेजने का निदेश हुआ है।

ह./-
(किरण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034467

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उप राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
8. सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का मई, 2021 माह के लिए मासिक सार।

1. संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेंसी है कि मंत्रालय, संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संबंधित मंत्री द्वारा दिए गए अपने आश्वासनों को समय पर पूरा करें। मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को छांटता है और उन्हें अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है। प्रशासनिक मंत्रालयों से आश्वासन की पूर्ति के संबंध में प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संबंधित सदन के पटल पर रखा जाता है।

वर्ष 1956 से अप्रैल, 2021 तक लोक सभा के संबंध में कुल 96800 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में कुल 56929 आश्वासन निकाले गए। इनमें से लोक सभा के संबंध में 1669 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में 850 आश्वासन लंबित हैं।

मई, 2021 मास के दौरान, 40 आश्वासन लोक सभा की कार्यवाहियों में से और 15 आश्वासन राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए।

2. लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक सभा के जो सदस्य किसी ऐसे मामले को, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं, अध्यक्ष द्वारा उन्हें लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में सभापति राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के अंतर्गत सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मामलों, जिन्हें आमतौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा उठाए गए ऐसे मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

मई, 2021 के अंत तक संसद के दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों और दिए गए उत्तरों की स्थिति:

	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले
1 मई को लंबित मामले	306	270
मई माह के दौरान प्राप्त उत्तर	55	10
शेष मामले	251	260

3. **परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन**

संसद सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों हेतु अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों का गठन पहली बार वर्ष 1954 में किया गया था। इन समितियों की प्रकृति केवल परामर्श देने की है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।

मई, 2021 मास के दौरान:-

(क) परामर्शदात्री समितियों की तीन बैठकें आयोजित की गई।
(ख) चार संसद सदस्यों को मई, 2021 के दौरान उनकी मृत्यु/सेवानिवृत्ति के पश्चात विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से हटाया गया।
(ग) राज्य सभा के एक संसद सदस्य को एक परामर्शदात्री समिति पर नामित किया गया।

विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

4. **डिजिटल शासन - ई-ऑफिस का कार्यान्वयन**

इस मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दूसरे चरण में चुना गया था। अक्तूबर, 2013 से, भौतिक (फिजिकल) फाइलों के डिजिटलीकरण के पश्चात, मंत्रालय के अनुभगों को ई-ऑफिस के अंतर्गत लाया गया था।

कर्मचारियों की छुट्टी, सेवा, बिल इत्यादि से संबंधित सभी कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किए जा रहे हैं। इससे मंत्रालय को और कुशल बनने, कागज का अपेक्षताकृत कम प्रयोग करने, नियम आधारित फाइल रूटिंग, फाइलों और कार्यालय आदेशों की त्वरित खोज और पुन:प्राप्ति में सहायता मिली है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस मंत्रालय को ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में दर्शाए गए सराहनीय निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया है।

मई, 2021 के दौरान अधिकतर कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया और 846 इलेक्ट्रॉनिक फाइलें प्रस्तुत की गई।

5. **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा): एक राष्ट्र - एक एप्लिकेशन**

नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कामकाज को कागज रहित बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, और पब्लिक पोर्टल पर अनुमत सामग्री को रियल टाइम में प्रकाशित करना है। नेवा वेब आधारित और एप्लिकेशन आधारित (एन्ड्राएड और आईओएस दोनों) दोनों प्लेटफार्मों पर राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडलों के लिए एक समान प्रारूप में कार्य करती है।

विभिन्न राज्यों ने नेवा, डिजिटल विधानमंडल की परियोजना को अपनाया है और इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। विधानमंडलों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु ज्ञान अंतरण के एकमात्र प्रयोजन

के साथ केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), नेवा ने संबंधित विधानसभा/परिषद/राज्य एनआईसी के सहयोग से प्रशिक्षण/कार्यशाला शुरू कर दी हैं।

मई, 2021 माह तक, नेवा के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर 16 राज्यों (17 सदनों) के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जिनमें बिहार (विधानसभा और परिषद दोनों), पंजाब, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तरप्र देश शामिल हैं। नेवा परियोजना की मंजूरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 9 राज्यों (10 सदनों) द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है जिनमें पंजाब, ओडिशा, बिहार (विधानसभा और परिषद दोनों), नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, अरूणाचल प्रदेश और मेघालय शामिल हैं जिनमें से 7 राज्यों (8 सदनों) को नेवा के कार्यान्वयन के लिए पहली किस्त का भुगतान किया जा चुका है।

मई, 2021 मास के दौरान नेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कार्य भी किए गए:

i. 31 मई, 2021 को महाराष्ट्र विधानसभा, एनआईसी, नेवा टीम को नेवा की विशेषताओं और कार्यचालन को समझने के लिए नेवा पर सिंहावलोकन हेतु एक ऑनलाइन डेमो दिया गया। बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद दोनों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
ii. लोक सभा में 'ई-संसद' के कार्यान्वयन हेतु लोक सभा की आवश्यकताओं के अनुसार नेवा सॉफ्टवेयर का अनुकूलन।
iii. नेवा का कार्यान्वयन आरंभ कर चुके विभिन्न राज्य विधानमंडलों को टेलीफोन के माध्यम से तथा आभासी माध्यम से सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया।
iv. मई, 2021 के दौरान तकनीकी दल द्वारा राज्य विधानमंडलों की अपेक्षाओं के अनुसार नेवा साफ्टवेयर में कुछ नई विशेषताओं सहित विभिन्न परिवर्धन किए गए। इन परिवर्धनों में नेवा सार्वजनिक वेबसाइट, नेवा ई-बुक में परिवर्तन, नेवा बग्स का समाधान, नेवा सुरक्षित साइट और नेवा एपीआई में बजट, राज्यपाल का अभिभाषण, आर्थिक सर्वेक्षण, मांग और अनुदान हेतु नए टैब्स के लिए संशोधन शामिल है।

6. सोशल मीडिया

सोशल मीडिया सूचना साझा करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक उभरता हुआ मंच है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर पंजीकृत अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहल की है।

कुल 1754 ट्वीट्स के साथ, मंत्रालय के ट्विटर हैंडल https://twitter.com/mpa.india के अनुयायियों (फोलोअर्स) की संख्या 4626 और फेसबुक के फोलोअर्स की संख्या 38104 हो गई है।

7. आजादी का अमृत महोत्सव

"आजादी का अमृत महोत्सव" मनाने और जागरूकतापूर्ण व्याख्यानों, नुक्कड़ नाटकों, निबंध लेखन इत्यादि जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव की जागरूकता का प्रसार करने के लिए तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को छोड़कर विभिन्न राज्य विधानमंडलों को माननीय संसदीय कार्य मंत्री की ओर से पत्र भेजे गए।

अनुबंध-I

मई, 2021 के दौरान परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	दिन, तारीख और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/अभ्युक्ति
1	शुक्रवार, 7 मई, 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे	कृषि और किसान कल्याण	प्रधानमंत्री किसान और कृषि अवसंरचना निधि	आभासी माध्यम से
2.	शुक्रवार, 7 मई, 2021 को अपराह्न 03.30 बजे	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकरण	आभासी माध्यम से
3.	गुरूवार, 27 मई, 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे	ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्रालय	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	आभासी माध्यम से

मई, 2021 के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से हटाए गए संसद सदस्य

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	परामर्शदात्री समिति जिन पर वे नामित थे	कारण
1	श्री मानस राजन भूनिया, संसद सदस्य (राज्य सभा)	शिक्षा मंत्रालय	06.05.2021 को त्यागपत्र देने के कारण
2	श्री आर. वैथीलिंगम, संसद सदस्य (राज्य सभा)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	07.05.2021 को त्यागपत्र देने के कारण
3	डॉ. रघुनाथ महापात्र, संसद सदस्य (राज्य सभा)	कौशल विकास और उद्यमिता	09.05.2021 को निधन होने के कारण
4	श्री संजीव साटव, संसद सदस्य (राज्य सभा)	नागर विमानन	16.05.2021 को त्यागपत्र देने के कारण

मई, 2021 के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों पर नामित किए गए संसद सदस्य

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	परामर्शदात्री समिति जिस पर नामित किया गया है	अभ्युक्ति
1	श्री बी.एल. वर्मा	कृषि और किसान कल्याण	12.05.2021 को नामित किए गए।